भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2698
19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई के अंतगर्त निवेश

2698. श्री सौमित्र खान:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) में अब तक किए गए निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में स्टार्टअप्स और मछली फार्मों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ग) मंत्रालय द्वारा जल-कृषि उद्यमियों, मछली फार्मों और मछली पकड़ने के कार्यकलापों के लिए आसान ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अनुमोदित राज्य-वार निवेश अनुलग्नक-। में प्रस्तुत है ।

(ख): विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को 48651.26 लाख र/- की कुल लागत पर मंजूर किया है और राज्य सरकार की मांग के आधार पर 5261.37 लाख रुपये का केंद्रीय हिस्सा राज्य में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास हेतु जारी किया है । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल को मत्स्य फार्म के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों की मंजूरी दी गई है जैसे (i) 47.45 करोड़ रुपये की लागत से 190 मत्स्य बीज हैचरियां (ii) 5.40 करोड़ रुपये की लागत से मत्स्यपालन के लिए 48 हेक्टेयर क्षेत्र (iii) गहन मत्स्य पालन (इंटैन्सिव फिश कल्चर) के लिए 13.51 करोड़ रुपये की लागत से 62 आरएएस यूनिट्स (iv) 31.5 लाख रुपये की लागत से रेसवे के 8 यूनिट्स (v) 23.21 करोड़ रुपये की लागत से 343 सजावटी मत्स्य पालन यूनिट्स ।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मत्स्य किसानों और मछुआरों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के साथ-साथ जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में शामिल हैं; (i) नीली क्रांति पर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस): मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन जिसे 3000 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय परिव्यय पर 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया (ii) मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़) जो रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 2018-19 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 7522.48 करोड़ रुपये के कुल फंड के साथ लागू किया गया है (iii) मुहाना और समुद्र में मत्स्य पालन और मत्स्यन गतिविधि, मुहाना और खुले समुद्र में मछली पालने/समुद्री कृषि गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए मछुआरों और मत्स्य किसानों को 2018-19 से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किया जा रहा है (iv) 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का कार्यान्वयन ।

पीएमएमएसवाई के तहत, पश्चिम बंगाल को 8.15 करोड़ रुपये की लागत से 190 यूनिट नावों और जालों को बदलने (रीप्लेसमेंट) और 109.42 करोड़ रुपये की लागत से 4 फिशिंग हारबर्स के आधुनिकीकरण की मंजूरी दी गई है । पश्चिम बंगाल के मछुआरों और मत्स्य किसानों को 14918 केसीसी जारी किए गए हैं ।

****

अनुबंध – ।

पीएमएमएसवाई के अंतगर्त निवेश के संबंध में 19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2698 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत राज्य-वार निवेश।

(रु/- लाख में)

क्रम सं	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कुल परियोजना लागत
(i)	(ii)	(iii)
1	अंडमान और निकोबार	5365.35
2	आंध्र प्रदेश	233237.67
3	अरुणाचल प्रदेश	16209.09
4	असम	45616.27
5	बिहार	51738.50
6	छत्तीसगढ	71917.00
7	दमन और दीव एवं दादरा नगर हवेली	631.20
8	दिल्ली	533.25
9	गोवा	10742.09
10	गुजरात	79883.67
11	हरयाणा	72310.25
12	हिमाचल प्रदेश	12767.35
13	जम्मू एवं कश्मीर	12870.36
14	झारखंड	40389.46
15	कर्नाटक	91955.19
16	केरल	93956.20
17	लद्दाख	2883.20
18	लक्षद्वीप	6450.98
19	मध्य प्रदेश	74757.24
20	महाराष्ट्र	111878.84
21	मणिपुर	18613.70
22	मेघालय	12072.68
23	मिजोरम	8980.52
24	नगालैंड	9935.65
25	ओडिशा	92452.60
26	पुदुचेरी	19451.48
27	पंजाब	15541.75
28	राजस्थान	6310.14
29	सिक्किम	7209.53
30	तमिलनाडु	93238.40
31	तेलंगाना	30203.09
32	त्रिपुरा	20524.64
33	उतार प्रदेश।	108911.30
34	उत्तराखंड	29298.07
35	पश्चिम बंगाल	48285.86
कुल क		**1593522.56**
36	विभिन्न राज्यों और एजेंसियों को केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं	159199.38
कुल क + ख		**1752721.94**

*****